कार्यालय जिला परिषद, औरंगाबाद।

अल्पकालीन आम सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी के द्वारा जिला परिषद औरंगाबाद के नियंत्राधीन विभिन्न बाजार/बस स्टैण्ड/तालाब आदि की वर्ष 2019–20 हेतु बंदोबस्ती जिला परिषद कार्यलय में दिनांक –18.3.19 को 11 बजे दिन में खुली डाक प्रक्रिया के अनुसार की जायेगी। यदि उक्त निर्धारित तिथि को बंदोबस्ती शेष रह जाती है , तब पुनः दिनांक –19.3.19 को एवं उसमें से शेष रह जाने पर पुनः दिनांक –20.3.19 को पूर्व में निर्धारित स्थान एवं समय पर बन्दोवस्ती की जायेगी। इच्छुक व्यक्ति उपरोक्त निर्धारित तिथियों के डाक में भाग ले सकते हैं। डाक बोलने के पूर्व प्रत्येक डाकवक्ता को निर्धारित सुरक्षित राशि का 20 प्रतिशत राशि अग्रधन के रूप मे नकद जमा कर अथवा उप विकास आयुक्त–सह– मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी , जिला परिषद, औरंगाबाद के पदनाम से निर्गत बैंकर्स चेक या बैंक ड्राफ्ट जिला परिषद के रोकडपाल (नाजीर) के पास डाक हेतु निर्धारित तिथि के एक दिन पूर्व तक जमा करना अनिवार्य होगा। प्रथम एवं द्वितीय डाकवक्ता को छोड़कर शेष असफल व्यक्तियों की ओर से जमा की गई अग्रधन की राशि डाक की समाप्ति के पश्चात मुख्य कार्यापालक पदाधिकारी के पास आवेदन देकर वापस ले सकते हैं। अग्रधन की राशि डाक की तिथि से एक दिन पूर्व तक ही कार्यालय अवधि (5 बजे अपराह्न) में जिला परिषद कार्यलय औरंगाबाद में जमा लिया जायेगा। किसी भी डाक को तीन या उससे अधिक व्यक्तियों के बीच सम्पन्न किया जायेगा। डाक स्वीकृति के पश्चात किसी भी तरह के आवेदन पत्र पर बिचार नहीं किया जायेगा। सफल डाकवक्ता को सम्पूर्ण डाक राशि उसी दिन रोकड़पाल के पास जमा करना अनिवार्य और साथ ही स्वयं के खर्च पर ही डाक राशि के 3 प्रतिशत की राशि से स्टाम्प शुल्क पर इकरारनामा करना होगा। प्रत्येक डाकवक्ता को पहचान के रूप में फोटो पहचान पत्र, ड्राईविंग लाईसेंस , पैन कार्ड अथवा आधार कार्ड की छायाप्रति एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्गत आचरण प्रमाण–पत्र देना अनिवार्य होगा। विशेष जानकारी के लिए कार्यालय अवधि में सम्पर्क स्थापित किया जा सकता हैं। डिफॉल्टर व्यक्ति/फर्म को डाक में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। किसी भी डाक को बिना कारण बताये स्वीकृत या अस्वीकृत करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा। बन्दोवस्ती स्थल से संबंधित खाता प्लॉट की जानकारी जिला परिषद कार्यालय से प्राप्त की जा सकती हैं

क्र0सं0	नाम	सुरक्षित राशि	अग्रधन की राशि	अभ्युक्ति
	बस स्टैण्ड			
1.	औरंगाबाद बस स्टैण्ड	2901833.00	580366.00	
2.	गोह बस स्टैण्ड	529753.00	105950.00	
3.	जम्होर बस स्टैण्ड	596965.00	119393.00	
4.	हसपुरा बस स्टैण्ड	335436.00	67087.00	
5.	पौथु बस स्टैण्ड	121009.00	24201.00	
6.	टण्डवा बस स्टैण्ड	133573.00	26714.00	
	हाट बाजार			
7.	खुदवाँ बाजार	23585.00	4717.00	
8.	अम्बा बाजार	41803.00	8360.00	
9.	देव बाजार	47452.00	9490.00	
10.	फेसर बाजार	50826.00	10165.00	
11.	जाखीम (कजपा) बाजार	932.00	186.00	
12.	जम्होर बाजार	39940.00	7988.00	
13.	जम्होर रेलवे स्टेशन पथ बाजार	266201.00	53240.00	
14.	चरण बाजार	19857.00	3971.00	
15.	देवहरा बाजार	67582.00	13516.00	
16.	केताकी बाजार	476.00	95.00	
17.	नबीनगर रेलवे स्टेशन पथ बाजार	96171.00	19234.00	
18.	हसपुरा बाजार	53385.00	10677.00	
19.	गोह सब्जी बाजार	151743.00	30348.00	
20.	कासमा बाजार	27127.00	5425.00	
21.	सुन्दरगंज बाजार	21623.00	4324.00	

तालाब				
22.	लेम्बोखाप सिन्दुरिया तालाब	75426.00	15085.00	

नोट– कोई व्यक्ति इस पूरी डाक प्रक्रिया के दौरान सूची में अंकित एक से अधिक आईटम में भाग लेने के लिये स्वतंत्र हैं। तथा पचास हजार से उपर अग्रधन की राशि बैंक ड्राफ्ट/बैकर्स चेक के रूप में जमा करना होगा।

नोट – विशेष जानकारी के लिए बेबसाईट www.auranabad.bih.nic.in देखा जा सकता हैं एवं डाउनलोड किया जा सकता हैं।

(घनश्याम मीणा)
उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य,
कार्यपालक पदाधिकारी ,जिला परिषद,
औरंगाबाद।

ज्ञापांक 71 /जि0प0,दिनांक – 1.3.19

प्रतिलिपि – जिला पदाधिकारी, औरंगाबद/आरक्षी अधीक्षक औरंगाबाद/अनुमण्डल पदाधिकारी, औरंगाबाद एवं दाउदनगर/जिला सूचना एवं जन सर्म्पक पदाधिकारी औरंगाबाद को सूचनार्थ एवं उनसे अनुरोध है कि कृपया अपने कार्यालय सूचना पट्ट पर प्रकाशित कराने की कृपा करे।

प्रतिलिपि – निदेशक, सूचना एंव जनसर्म्पक विभाग, बिहार पटना को छः प्रति सी0डी0 सहित संलग्न कर भेजते हुये अनुरोध है कि इसे दैनिक हिन्दुस्तान के एक अंक में प्रकाशित करने की कृपा की जाए।

प्रतिलिपि– सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, औरंगाबाद जिला एवं सभी अंचल अधिकारी औरंगाबाद जिला/सभी थाना प्रभारी, को सुचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– पूर्व के सभी प्रथम एवं द्वितीय डाक वक्ता को सूचनार्थ एवं निर्धारित तिथियों में डाक में भाग लेने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– सहायक अभियन्ता जिला परिषद, औरंगाबाद/सभी कनीय अभियन्ता जिला परिषद, औरंगाबाद/रोड सरकार सभी को सूचनार्थ एवं उन्हें आदेश दिया जाता है कि अपने–अपने स्तर से व्यापक पैमाने पर प्रचार–प्रसार का कार्य करायेगें।

प्रतिलिपि– नगर थाना औरंगाबाद को सूचनार्थ एवं उपरोक्त निर्धारित तिथि को जिला परिषद कार्यालय में विधि व्यवस्था बनाये रखने हेतु प्रेषित।

(घनश्याम मीणा)
उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य,
कार्यपालक पदाधिकारी ,जिला परिषद,
औरंगाबाद।

[138] Janardan.p[PND]doc01213